प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव**

रिट याचिका क्र. 2729/2002

याचिकाकर्ता : राम सागर सिन्हा

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत रिट याचिकाएँ

श्री. आर. के. केशरवानी, याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री. ए. एस. कच्छवाहा उप-महाधिवक्ता, राज्य की ओर से ।

मौखिक आदेश

(31.01.2013)

सुना गया।

(2).इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 30.09.2002 को पारित आदेश की औचित्यता एवं वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई दंड को बढ़ाकर सेवा से बर्खास्तगी का कठोरतम दंड दिया गया है।

(3).रिट याचिका में उठाए गए विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है कि : याचिकाकर्ता जब द्वितीय बटालियन, विशेष सशस्त्र बल

(बीएसएफ), बिलासपुर में सिपाही के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत था, तब दिनांक 29.05.2001 को अभियोग-पत्र जारी कर उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच के पश्चात जांच अधिकारी ने दिनांक 10.08.2001 को प्रतिवेदन (अनुलग्नक अ-3) प्रस्तुत किया। साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण के उपरांत जांच अधिकारी ने आरोप क्रमांक - 1 को आंशिक रूप से सिद्ध एवं आरोप क्रमांक - 2 को पूर्णतः सिद्ध पाया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 31.08.2001 के आदेश (अनुलग्नक अ-5) द्वारा एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया।

(4). छ. ग/म. प्र. पुलिस विनियमन के विनियम 270 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस उप-महानिरीक्षक ने स्वप्रेरणा से मामला लिया तथा दिनांक 17.05.2002 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी किया (अनुलग्नक अ-6)। याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.07.2002 को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया (अनुलग्नक P-7)। तत्पश्चात, पुनरीक्षण प्राधिकारी/डीआईजी ने दिनांक 30.09.2002 को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक अ-8) पारित कर दंड को सेवा से बर्खास्तगी तक बढ़ा दिया, जो इस रिट याचिका में चुनौती का विषय है। याचिकाकर्ता ने तत्पश्चात अपील की, जो दिनांक 20.11.2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा भी खारिज कर दी गई। पुनरीक्षण प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5). याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जांच अधिकारी ने अपने विस्तृत जांच प्रतिवेदन में आरोप क्रमांक - 1 को केवल आंशिक रूप से सिद्ध पाया था। आरोप क्रमांक - 1 का द्वितीय भाग, जो प्रथम भाग की तुलना में अधिक गंभीर था, सिद्ध नहीं माना गया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस पहलू पर विचार किया था और आरोप क्रमांक - 1 को केवल "अनाधिकृत रूप से शिविर से बाहर जाने की सीमा तक" आंशिक रूप से सिद्ध पाकर, अन्य परिस्थितियों एवं पूर्व सेवा अभिलेख को दृष्टिगत रखते हुए, एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने का दंड उचित समझा था। किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के बचाव, साक्षियों के साक्ष्य, जांच प्रतिवेदन एवं अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश पर विचार किए बिना आरोप क्रमांक - 1 को पूर्णतः सिद्ध मानते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय को पलट दिया। यह भी कहा गया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विशिष्ट आधारों पर विचार नहीं किया और बिना किसी परीक्षण के ही यह दर्ज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने कोई सारभूत आधार नहीं उठाया, जबकि कारण बताओ सूचना के उत्तर में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पोस्ट कमांडर के साथ अभद्रता एवं दुर्व्यवहार का आरोप किसी साक्ष्य से सिद्ध नहीं हुआ और किसी भी साक्षी ने आरोप के उस भाग का समर्थन नहीं किया, अतः वह भाग साक्ष्यहीन होने के कारण

अस्वीकार्य था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने आरोपों को पूर्णतः सिद्ध पाते हुए और याचिकाकर्ता के विगत सेवा अभिलेख सहित आरोप क्रमांक - 1 की संपूर्ण अभियोग-कथा के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का कठोरतम दंड अधिरोपित किया, अतः पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश मनमाना, अवैध एवं अपने विवेक के प्रयोग के बिना पारित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी ने इनमें से किसी भी पहलू पर विचार नहीं किया और बिना कोई कारण दर्ज किए यांत्रिक ढंग से अपील खारिज कर दी।

(6).दूसरी ओर, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी ने आरोप क्रमांक - 1 को आंशिक रूप से सिद्ध पाया था, किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप क्रमांक-1 पूर्णतः सिद्ध है। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था, जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकारी की प्रस्तावित दंड वृद्धि के अनंतिम कारण भी थे। याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत विचार किया गया और तत्पश्चात आदेश पारित हुआ। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दर्ज साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है, अतः केवल इसलिए कि कोई अन्य दृष्टिकोण भी संभव था, कोई हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं होगा, क्योंकि यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सिद्ध आरोपों की गंभीरता एवं याचिकाकर्ता के विगत सेवा अभिलेख को, जो एक अनुशासित बल का सदस्य है, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बढ़ाने में सम्यक रूप से ध्यान में रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7).अभियोग-पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम आरोप इस प्रकार था:

> *"दिनांक 1.2.2001 की रात अनधिकृत रूप से कैम्प के बाहर जाना तथा वापस कैम्प आकर पोस्ट कमाण्डर को अश्लील व अशोभनीय गाली गजौज कर म.प्र./वि.प्र. बल नियम 16 व 17 उ.च. सिविल सेवा आचरण नियम 1969 के नियम (3) क के उपनियम (क/ग) का उल्लंघन करना।"*

(8).अतः यह आरोप दो भागों में है। आरोप का प्रथम भाग रात्रि में अनधिकृत रूप से शिविर छोड़ने से संबंधित है। आरोप क्रमांक - 1 का द्वितीय भाग प्रकृति में अधिक गंभीर प्रकृति का है क्योंकि इसमें शिविर वापस आने पर याचिकाकर्ता द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी पोस्ट कमांडर को गाली देकर अशांति फैलाने का आरोप है। जांच अधिकारी ने जांच की और जांच

के दौरान प्रस्तुत साक्षियों के बयान दर्ज करने के पश्चात यह निष्कर्ष दर्ज किया कि आरोप क्रमांक - 1 आंशिक रूप से सिद्ध है। जांच प्रतिवेदन (अनुलग्नक ए-3) के अवलोकन से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने अभिलेखीय साक्ष्य की सूक्ष्मता से जांच की। उन्होंने पाया कि अभियोजन साक्षियों के परस्पर विरोधाभासी बयानों के दृष्टिगत, आरोप क्रमांक 1 का द्वितीय भाग कि शिविर वापस आने पर याचिकाकर्ता ने पोस्ट कमांडर के साथ दुर्व्यवहार एवं अभद्रता की, सिद्ध नहीं हुआ। किंतु, आरोप का प्रथम भाग कि याचिकाकर्ता ने अनधिकृत रूप से शिविर छोड़ा, सिद्ध पाया गया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमति जताते हुए आरोप क्रमांक 1 को आंशिक रूप से सिद्ध मानकर, याचिकाकर्ता के विगत अभिलेख को — जिसमें पुरस्कार एवं दंड दोनों थे — ध्यान में रखते हुए एक वर्ष के लिए वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया। आरोप क्रमांक 2, याचिकाकर्ता के सेवा के विगत अभिलेख से संबंधित है, जो स्वयं में कोई विशिष्ट कदाचार गठित न करते हुए दंड की मात्रा निर्धारण की दृष्टि से सुसंगत है। कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक ए/6) के अवलोकन से पता चलता है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने फूलसिंह बंजारे एवं दयाशंकर के साथ-साथ पीसी मदन सिंह के बयान को भी ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि आरोप क्रमांक 1 पूर्णतः सिद्ध है। किंतु अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालते हुए और आरोप क्रमांक - 1 को पूर्णतः सिद्ध मानते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने जांच प्राधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों का खंडन नहीं किया। अभिलेखों से स्पष्ट है कि अभियोजन ने बड़ी संख्या में साक्षियों की जांच की, किंतु उनमें से अनेक ने अभियोजन की इस कहानी का समर्थन नहीं किया कि शिविर वापस आने के बाद याचिकाकर्ता ने पोस्ट कमांडर के साथ दुर्व्यवहार एवं अभद्रता की। इसी कारण जांच अधिकारी ने आरोप के इस भाग को सिद्ध नहीं माना। किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपस्थित संपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9). कारण बताओ नोटिस के उत्तर में याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर के कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से कहा था कि घटना के स्वतंत्र साक्षियों ने दुर्व्यवहार एवं अभद्रता के आरोपों का समर्थन नहीं किया और उन्होंने साक्षी — दयाशंकर के साक्ष्य को उल्लेखित करते हुए यह बताया कि अभिलेख पर विपरीत साक्ष्य यह था कि पी. सी. मदन सिंह ने ही याचिकाकर्ता को धमकाया और गाली दी थी, जो अभियोजन साक्षी — भगीरथ के बयान से भी समर्थित था। उत्तर में यह भी बल दिया गया था कि याचिकाकर्ता के नशे में होने का कोई साक्ष्य नहीं था। अंत में, याचिकाकर्ता ने कठोरतम दंड न देने के लिए शमनकारी परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। अपने उत्तर के कंडिका 2 में उन्होंने कहा कि दंड की तुलना में पुरस्कारों की संख्या अधिक है और दंड छोटी-छोटी गलतियों पर दिए गए हैं। किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश

से स्पष्ट है कि मामले के इन सभी पहलुओं पर न तो विचार किया गया और न ही उन पर कोई गंभीर ध्यान दिया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास दंड को समाप्त, घटाने या बढ़ाने, नई जांच का आदेश देने अथवा अतिरिक्त साक्ष्य लेने का क्षेत्राधिकार तो है, किंतु आदेश सुविचारित होना चाहिए। विनियम 270 के उप-नियम 4 की विधायी अपेक्षा यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी को लिखित में कारण दर्ज करने होंगे। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक आधार पर अलग-अलग विचार किया जाए और लिखित में कारण दर्ज किए जाएं। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के बचाव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। यदि मैं ऐसा कहूं तो आदेश केवल एक पक्ष अर्थात अभियोजन के मामले पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी ने उस विस्तृत जांच प्रतिवेदन रूपी सामग्री पर भी विचार नहीं किया, जिसके आधार पर जांच प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि आरोप क्रमांक 1 केवल आंशिक रूप से सिद्ध हुआ। अभियोग-पत्र के उत्तर में याचिकाकर्ता के उत्तर के कंडिका 4 एवं 5 में साक्षियों के विशिष्ट साक्ष्य को उल्लेखित करते हुए जो विशिष्ट उत्तर दिया गया था, उस पर भी विचार नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10). दंड की मात्रा के पहलू पर भी, याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित शमनकारी परिस्थितियों, विशेष रूप से दंड की तुलना में पुरस्कारों की संख्या अधिक होने के संदर्भ में, कोई उचित विचार नहीं किया गया। सेवा से बर्खास्तगी के कठोरतम दंड को बढ़ाने वाले आदेश के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा वास्तव में किए गए कार्य की तुलना में कहीं अधिक गंभीर विचार-विमर्श आवश्यक था। अतः पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि के दृष्टि में स्थिर नहीं रखा जा सकता।

> पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश में निहित उपरोक्त स्पष्ट अनियमितताएं एवं अवैधताएं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं रखी गईं। मेरे विचार में, अपीलीय प्राधिकारी का भी अनुचित है क्योंकि उसमें कुछ भी विचार नहीं किया गया। इस न्यायालय ने **<u>घासीराम कोसरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य,</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलीय प्राधिकारी प्रत्येक आधार पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करने और सुविचारित एवं सकारण आदेश पारित करने के वैधानिक कर्तव्य से बंधा है। अपीलीय प्राधिकारी ने भी किसी सामग्री पर विचार न कर अपना कर्तव्य नहीं निभाया और अपील को लगभग यांत्रिक ढंग से खारिज कर दिया।

(11). परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, दोनों अवैध एवं विधि की दृष्टि में स्थिर नहीं रखा जा सकता है, आरक्षणीय घोषित करते एवं अपास्त किया जाता है। मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रकरण के संपूर्ण अभिलेखों, साक्ष्य, याचिकाकर्ता के बचाव पर पुनर्विचार कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रति-प्रेषित किया जाता है। इस न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में पुनर्स्थापित किया जाए, किंतु पिछला वेतन का प्रश्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल उस स्थिति में विचारणीय होगा जब याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी से कम कोई दंड अधिरोपित किया जाए। याचिका उपरोक्त वर्णित रीति एवं सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(12). वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by :- Gajendra Prakash Sahu